संख्या–1012/XVI-2/17/17(06)/2017

प्रेषक,

डी. सेन्थिल पाण्डियन,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक– 06 अक्टूबर,2017

विषयः– राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलॉजी संस्थान (NIFT) देहरादून की स्थापना हेतु राजकीय रेशम फार्म रानीपोखरी एवं लिस्टराबाद देहरादून की भूमि हस्तानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक–08.09.2017 को सम्पन बैठक में लिये गये निर्णय का समादर करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत स्थित रेशम विभाग के राजकीय रेशम फार्म रानीपोखरी में 11.2 एकड़ भूमि तथा राजकीय रेशम फार्म लिस्ट्राबाद में 15.5 एकड भूमि, इस प्रकार कुल 26.7 एकड़ भूमि राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलॉजी संस्थान (NIFT) देहरादून की स्थापना हेतु सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उत्तराखण्ड शासन को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–260/वि0अनु–03/2002, दिनांक 15.02.2002 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. भूमि का हस्तान्तरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के बाजार मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
2. यदि भूमि वन विभाग की 'रक्षित वन भूमि' हो तो वह हस्तान्तरण के बाद भी 'रक्षित वन भूमि' बनी रहेगी। 'रक्षित वन भूमि' के हस्तान्तरित भूमि के उपयोग करने में साथ में लगी हुई वन भूमि और वन सम्पदा को कोई हानि नही कराई जायेगी।
3. वन विभाग दूसरे सेवा विभाग में हस्तान्तरित भूमि का कोई मूल्य नही लेगा लेकिन यदि उस भूमि पर पेड इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तो प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा वन विभाग को उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना पडेगा।
4. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा, और यदि भूमि की आवश्यकता न हो अथवा 03 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा।

कमशः–2

5. हस्तान्तरित भूमि को प्रस्तावित कार्य के इतर किसी भी प्रयोग में लाये जाने पर आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

6. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

7. रेशम विभाग को रेशम उत्पादन हेतु निकटवर्ती स्थानों में उपलब्ध अन्य भूमि उपलब्ध करायी जायेंगी।

भवदीय,

(डी. सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

संख्या–1012/ XVI-2/17/17(06)/2017,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
6– सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
7– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
8– जिलाधिकारी, देहरादून।
9– निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रंसस्करण विभाग उत्तराखण्ड।
10– निदेशक रेशम विकास विभाग प्रेमनगर–देहरादून।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)
संयुक्त सचिव।